रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215557
CG-DL-E-18012020-215557

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2020/पौष 26, 1941
No. 226] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2020/PAUSHA 26, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

का.आ. 236(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार ने परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 सितम्बर, 2006, के द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है ;

और, यह सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के कारण चीनी मिलें बी-हैवी मोलासेस या गन्ना रस या चीनी सिरप या इथेनॉल के उत्पादन का कार्य करेंगी, और इथेनॉल की बेहतर पैदावार के कारण, पर्यावरण की अनापत्ति से परे इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की क्षमता, मौजूदा संयंत्र और मशीनरी या प्रौद्योगिकी के किसी भी विस्तार के बिना; क्षमता प्रदान की जाती है ;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बी-भारी मोलासेस या गन्ना रस या चीनी सिरप या चीनी का उपयोग करने के कारण इथेनॉल के उत्पादन में आकस्मिक वृद्धि के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा की छूट के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; विद्यमान भट्टियों या चीनी मिलों या सिंथेटिक कार्बनिक रासायनिक इकाइयों में कुल प्रदूषण भार में वृद्धि के बिना बहु औषधि विनिर्माण के मामले में उत्पाद-मिश्रण में परिवर्तन जिसके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति पहले ही दी गई थी ;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपतट और तटवर्ती तेल और गैस के संबंध में अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा की छूट के लिए भी निर्देश प्राप्त हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा के साथ अभिमुक्ति प्रदान करने के पश्चात,भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

i . पैरा 7 में, उप-पैरा (ii) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(ग) कच्चे माल-मिश्रण या उत्पाद-मिश्रण में कोई परिवर्तन, उसी श्रेणी में उत्पादों या उत्पादों की संख्या के भीतर मात्रा में परिवर्तन जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति दी गई हो, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट दी जाएगी परन्तु प्रदूषण भार में पहले पर्यावरण अनापत्ति में अनुज्ञात उत्पादन में परिणामी वृद्धि 50% से अधिक उत्पादन क्षमता कोई वृद्धि नहीं हुई है और परियोजना प्रस्तावक परिशिष्ट -XIII में दिए गए उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति से 'प्रदूषण भार कोई वृद्धि नहीं' प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे";

ii अनुसूची में–

मद 1 (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''1 (ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज , विकास और उत्पादन	खोज के सिवाय अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस विकास और उत्पादनके संबंध में सभी परियोजना		टिप्पण 1: भूकंपीय सर्वेक्षण जो खोज सर्वेक्षण का भाग है छूट प्राप्त है परंतु सुविधा प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक सर्वेक्षण के लिए पहले ही अनापत्ति प्राप्त है टिप्पण 2: अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस खोज के संबंध में सभी परियोजना को "बी 2 परियोजन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

[फा.सं. 22-33/2019-आईए-III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्तपश्चात निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. का.आ.1949(अ), तारीख़ 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ.1737(अ), तारीख़ 11 अक्तूबर, 2007
3. का.आ. 3067(अ), तारीख़ 01 दिसम्बर, 2009;

4. का.आ. 695(अ), तारीख़ 04 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156(अ), तारीख़ 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख़ 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख़ 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख़ 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख़ 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख़ 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख़ 09 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख़ 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख़ 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख़ 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख़ 07 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख़ 09 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख़ 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख़ 03 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811(अ), तारीख़ 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996(अ), तारीख़ 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख़ 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख़ 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख़ 06 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख़ 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141(अ), तारीख़ 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648(अ), तारीख़ 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269(अ), तारीख़ 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2016
30. का.आ. 3518(अ), तारीख़ 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख़ 09 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख़ 30 दिसम्बर, 2016;
33. का.आ. 3611(अ), तारीख़ 25 जुलाई, 2018;
34. का.आ. 3977(अ), तारीख़ 14 अगस्त, 2018;
35. का.आ. 5733(अ), तारीख़ 14 नवम्बर, 2018;
36. का.आ. 5736(अ), तारीख़ 15 नवम्बर, 2018;
37. का.आ. 5845(अ), तारीख़ 26 नवम्बर, 2018;
38. का.आ. 345(अ), तारीख़ 17 जनवरी, 2019; और
39. का.आ. 1960(अ), तारीख़ 13 जून, 2019।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2020

S.O. 236(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS, it was informed that due to incentives provided by the Government of India, sugar mills shall undertake production of ethanol from B-heavy Molasses or Sugar cane Juice or Sugar Syrup or Sugar, and because of the better yield of the ethanol there will be increase in the ethanol production beyond the environmental clearance granted capacity, even without any expansion of existing plant and machinery or technology;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance under the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 for the incidental increase in the production of ethanol due to use of B-heavy Molasses or Sugar cane Juice or Sugar Syrup or Sugar; change in the product-mix in case of bulk drug manufacturing without any increase in the total pollution load in the existing distilleries or sugar mills or synthetic organic chemical units for which environmental clearance was already granted;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has also received references requesting for exemption from requirement of prior environmental clearance under the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 for exploration drilling in respect of on-shore and off-shore oil and gas;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

i. in paragraph 7, in sub-paragraph (ii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) Any change in raw material-mix or product-mix, change in quantities within products or number of products in the same category for which prior environmental clearance has been granted, shall be exempted from the requirement of prior environmental clearance provided there is no increase in pollution load and the resultant increase in production is not more than 50 percent of the production capacity permitted in the earlier environmental clearance and the project proponent shall follow the procedure for obtaining 'No Increase in Pollution Load' certificate from the concerned State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, as per the provisions given in Appendix –XIII";

ii. in the Schedule -

for item 1(b) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

1(b)	*Off-shore and onshore oil and gas exploration, development and production*	*All projects in respect of off-shore and onshore oil and gas development and production except exploration*		*Note 1: Seismic surveys which are part of Exploration Surveys are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey* *Note 2: All project in respect of off-shore and onshore oil and gas exploration are categorized as 'B2' projects"*

[F. No. 22-33/2019-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;

27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019 and
39. S.O. 1960(E) dated the 13th June, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.